<u>यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना</u>
पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

वाद संख्याः **202/2022** — दायर दिनाँक **30.05.2022**

वादीगण

1. अन्नाराम पुत्र छोगाराम
2. कमला देवी पत्नि डालाराम
3. बलबीर पुत्र डालाराम
4. बीरबल पुत्र डालाराम समस्त जाति जाट निवासीगण चौमु, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी।

—:: <u>निर्णय</u> ::—

दिनाँक **08.07.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अन्नाराम की खातेदारी का खेत खसरा सं0 296 रकबा 8.8100 हैक्टे0, खसरा सं0 398 रकबा 0.1400 हैक्टे0, खसरा सं0 400 रकबा 7.2700 हैक्टे, खसरा सं0 404 रकबा 1.3000 हैक्टे0 ग्राम चौमु व वादीगण कमला देवी, बलबीर, बीरबल की खातेदारी का खेत खसरा सं0 289 रकबा 0.3600 हैक्टे0, खसरा सं0 292 रकबा 2.3800 हैक्टे0, खसरा सं0 405 रकबा 3.2100 हैक्टे0 सरहद चौमु में अवस्थित है।

यह है कि वादीगण की उक्त खातेदारी वर्तमान में सेटलमेन्ट विभाग वाले खसरा सं0 357 व 400 के बीच में जो सींवे—नींवें थी उन्हे राजस्व रेकर्ड परिवर्तन कर दिया तथा वर्तमान में उक्त सींव दोनो खेत के बीच में कर दी जबकि पुराने रेकर्ड में उक्त सींवे सही दर्शित थी। परन्तु राजस्व रेकर्ड की अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती के कारण उक्त सींव सीधी कर दी है।

यह है कि मौके पर पुराने नक्शे के अनुसार ही सींवे—नीवें कायम है तथा पुराने नक्शे के अनुसार ही मौके पर कब्जा काश्त है।

यह है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार वास्तविक रूप से मौके पर नींवे—सींवे कायम है तथा रेकर्ड में भी इसी प्रकार पूर्व में दर्ज थी परन्तु सेटलमेन्ट के अधिकारियों ने गलत तरीके से उक्त नींवे—सींवे दर्ज कर दी है।

यह है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार ही रेकर्ड में सींव मार्क ए बी सी डी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे तथा वर्तमान में सींव मार्क ई से एफ को राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें। इसलिए दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादीगण निम्न प्रकार हैः—

यह है कि खसरा सं0 357 व 400 के मध्य नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क ए बी सी डी सींव राजस्व रेकर्ड में दर्शायी जावें तथा मार्क ई से एफ सींव का अंकन राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट पेश हुई, जिसे शामिल मिशल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादीगण ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम चौमु के खसरा संख्या 357 व खसरा सं0 400 के मध्य नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क ए बी सी डी सींव राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाता है तथा नजरी नक्शा मार्क ई से एफ सींव का अंकन राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **08.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्याः 202/2022 दायर दिनाँक 30.05.2022

वादीगण
1. अन्नाराम पुत्र छोगाराम
2. कमला देवी पत्नि डालाराम
3. बलबीर पुत्र डालाराम
4. बीरबल पुत्र डालाराम समस्त जाति जाट निवासीगण चौमु, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी
1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 08.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम चौमु के खसरा संख्या 357 व खसरा सं0 400 के मध्य नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क ए बी सी डी सींव राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाता है तथा नजरी नक्शा मार्क ई से एफ सींव का अंकन राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:46 IST
Reason: Self Attested

नोटः–इस खर्च के फार्म ... ... का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या ... ... करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner